न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 41/2022
प्रविष्टि दिनांक 18.04.2022

राहूल पिपलोदिया पुत्र कालूराम निवासी वरखेडा रोड पारसनगर विक्रमगढ तहसील अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश–मुख्तार खास अर्जुन सिंह गुर्जर पुत्र गोकुल सिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी मकान नम्बर 77,वार्ड नम्बर 3 भारतपुरा खजूरी नाग तहसील सितामउ जिला मन्दसौर मध्य प्रदेश

–प्रार्थी

वनाम

राजस्थान राज्य

–विपक्षी

एफ.आई.आर. नम्बर 18/2022 पुलिस थाना दत्तवास जिला टोंक अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6,8,9, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11(डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिक अप संख्या एम पी 14 जी बी 1203

उपस्थिति : (1) श्री अजय सिंह सोंलकी, अभिभाषक प्रार्थी
(2) पेरोकार सरकार

दिनांक 15.06.2022

निर्णय

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि पुलिस थाना दत्तवास ने दिनांक 15.01.2022 को वाहन नम्बर एम.पी.–14 जी बी 1203 पिकअप में 8 नर अवैध गोवंश (सांड)परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर वाहन जप्त कर गोवंश को दामोदर गौशाला निवाई मे संरक्षित रखवाने हेतु सुपुर्दगी मे दिये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी ने व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र वाहन सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस थाना दत्तवास से केस डायरी तलब की गई। प्रकरण मे अभिभाषक प्रार्थी एंव पेरोकार सरकार की वहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने वहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुलिस थाना दत्तवास ने दिनांक 15.01.2022 को वाहन नम्बर एम.पी. –14 जी बी 1203 पिकअप में 8 अवैध गोवंश (सांड)परिवहन क[illegible]स्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या [illegible] नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध [illegible] जाने पर वाहन जप्त किया है वाहन थाने में खुले स्थान पर खड़ा हुआ है जिससे वाहन के ट्यूब,टायर आदि के खराब होने व रंग रोगन व इंजन में परिवर्तन आने की [illegible] सम्भावना है। वाहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

के पुलिस में जप्त रहने से प्रार्थी को अपार आर्थिक क्षति हो रही है। पुलिस तफतीश पूर्ण हो चुकी है, प्रार्थी जब्त शुदा वाहन का जरिये मुख्तारनामा स्वामी है, जो जब्तशुदा उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी मे प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकार प्राप्त है। अतः जप्त शुदा वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस मे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बैलो (बछडों) को विधिवत रूप से क्रय नही कर पिक अप मे अव्यवस्थित रूप से क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जा रहा था। बछड़ो को थानाधिकारी दत्तवास द्वारा वाहन नम्बर एम.पी.–14 जी बी 1203 पिकअप गोवंश परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर जप्त किया गया है । वाहन से धारा 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम का अपराध कारित होना एंव राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 में हुए अधिनियम में संशोधन अधिनियम 2018(2019 अधिनियम सं.25) की धारा 6 क यह कहती है कि कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किया जावे तो ऐसा अपनाध करने के लिए उपयोग में लाया गया प्रवहरण का कोई भी साधन अधहिरण के दायित्वहीन होगा ओर अभिगृहित वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित नहीं माना है। इस कारण भी प्रार्थी सुपुर्दगार का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने अभिभाषक प्रार्थी एंव पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी ने उक्त जप्त शुदा वाहन एम.पी.–14 जी बी 1203 पिकअप को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई के यहाँ प्रस्तुत किये जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई द्वारा धारा 5,6,8,9 राज0गौवंश अधिनियम 1955 व धारा 11 पशु कुरता अधिनियम 1960 मे जब्तशुदा वाहन को रिलीज किये जाने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त नही होने से प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.03.2022 को स्वीकार योग्य नही माना है। वाहन एम.पी.–14 जी बी 1203 पिकअप राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में जप्त किया गया है।

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) (संशोधन) अधिनियम 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 25) की धारा 6–क. इस प्रकार हे–

धारा 6–क प्रवहण के साधन का अधिहरण–

(1) जब कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किय जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा।

(2) जहां उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण का कोई भी साधन इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के संबंध में अभिगृहित किया [illegible] वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अभिगृहीत करने वाले व्यक्ति [illegible] विलम्ब के बिना की जायेगी और ऐसे अपराध के लिये चाहे अभियोज[illegible]स्थित किये जाये या नहीं, उस क्षेत्र पर जहां प्रवहण का उक्त साधन अभिगृहित किया गया था, अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी यदि उसका समाधान हो जा[illegible] कि प्रवहण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

उक्त साधन इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिये उपयोग में लिया गया था, प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण कर सकेगाः

परन्तु प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश करने से पूर्व प्रवहण के उक्त साधन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा, और यदि ऐसा स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नही था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने के संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक् सावधानी बरती थी तो सक्षम प्राधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिहरण नहीं करेगाः

परन्तु यह और कि जहां प्रवहण का ऐसा साधन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन हो, वहां प्रवहण के ऐसे साधन के अधिहरण का कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामला, प्रवहण के साधन के बारे में ऐसे आदेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार उचित समझेः

परन्तु यह भी कि इस उप धारा के अधीन आधिहरण का आदेश करने के पूर्व,उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगाः

परन्तु यह भी कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विकल्प नही दिया जायेगा, यदि उसे किसी पूर्व अवसर पर उस परन्तुक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

(3) जब कभी भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण के ऐसे साधन के कब्जे, परिदान, व्ययन या निर्मुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को आदेश करने की अधिकारिता होगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि लोक हित में या उसके स्वामी के फायदे के लिये यह समीचीन है दकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए अभिगृहित, उप धारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रवहण के साधन का सार्वजनिक नीलाम से विक्रय किया जाये तो वह किसी भी समय उसका विक्रय किये जाने का निर्देश दे सकेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी अधिहरण आदेश, ऐसे किसी भी दण्ड के दिये जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका, उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायित्वधीन है''।

प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थी के उक्त वाहन का तथाकथित आरोपित अपराध से किसी तरह का कोई संबंध नही है। प्रार्थी के वाहन को पुलिस ने प्रकरण मे गलत रूप से जब्त किया है। थानाधिकारी पुलिस थाना दत्तवास ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 29.04.2022 [illegible] वाहन पिक अप नम्बर एम.पी.–14 जी बी 1203 की कोई आपराधिक [illegible] से सबंधित सम्पूर्ण तफतीश मन थानाधिकारी द्वारा की ज[illegible] का उल्लेख [illegible] है। अतः प्रार्थी का वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित है। [illegible] प्रावधानों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर थानाधिकारी [illegible] थाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

दत्तवास द्वारा जप्त वाहन एम.पी.–14 जी बी 1203 पिकअप को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के जुर्माने के रूप में 15000/रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) राजकोष में जमा करवाकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज थानाधिकारी दत्तवास को प्रस्तुत कर दें, तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे दिया जावे। थानाधिकारी दत्तवास को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:15 IST
Reason: SelfAttested